गतिविधि आधारित अधिगम (ABL) कार्यक्रम की प्रभावशीलता के प्रति बीकानेर संभाग के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं अभिभावकों की अभिवृत्ति का विश्लेषणात्मक अध्ययन

[1]रजनीश कुमार (शोधार्थी) , [2]डॉ. संदीप शर्मा (शोध निर्देशक)

[1]शिक्षा विभाग, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

[2]ऐसोसिएट प्रोफेसर, ग्रा.वि. शिक्षा महाविद्यालय, संगरिया (राज.)

सार :

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य बीकानेर संभाग के प्राथमिक विद्यालयों में संचालित गतिविधि आधारित अधिगम (Activity Based Learning - ABL) कार्यक्रम की प्रभावशीलता के प्रति शिक्षकों और अभिभावकों की अभिवृत्ति का विश्लेषण करना है। शोध में 800 शिक्षकों एवं अभिभावकों को नमूना के रूप में चुना गया। अभिवृत्ति मापन हेतु प्रश्नावली का प्रयोग किया गया तथा आंकड़ों के विश्लेषण में माध्य, मानक विचलन, प्रतिशत एवं टी–परीक्षण का उपयोग किया गया। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति शिक्षक एवं अभिभावक उच्च अभिवृत्ति रखते हैं। गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति शिक्षकों एवं अभिभावकों की अभिवृत्ति सामान्यतः सकारात्मक है और गतिविधि आधारित अधिगम के प्रति अभिवृति में ग्रामीण व शहरी शिक्षकों एवं ग्रामीण व शहरी अभिभावकों बीच सांख्यिकीय रूप से कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया।

Keywords : गतिविधि आधारित अधिगम, अभिवृत्ति, प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर संभाग, शिक्षक, अभिभावक

प्रस्तावना :

शिक्षा मानव जीवन के सर्वांगीण विकास की आधारशिला मानी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 45 में चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य माना गया तथा इसके लिए विभिन्न योजनाएँ एवं नीतियाँ लागू की गईं।

यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, तथापि अभी भी अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। 2015 तक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त नहीं हो सका और देश की साक्षरता दर 2021 की जनगणना के अनुसार मात्र 77.70% रही। इसी संदर्भ में सतत विकास लक्ष्य – 4 निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है।

शिक्षा के प्रसार हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा निरंतर प्रयास किए गए हैं, जिनमें नामांकन बढ़ाने, विद्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु

अनेक योजनाएँ और कार्यक्रम सम्मिलित हैं। इन योजनाओं का प्रत्यक्ष कार्यान्वयन शिक्षकों द्वारा किया जाता है, जबकि अभिभावक अप्रत्यक्ष रूप से इनसे लाभान्वित होते हैं।

प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के अभिभावकों के दृष्टिकोण से प्राथमिक शिक्षा संबंधी सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना है। इसके माध्यम से यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि इन योजनाओं का वास्तविक लाभ किस हद तक लक्षित समूह तक पहुँच रहा है तथा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में इन प्रयासों से क्या परिवर्तन संभव हो पाए हैं।

प्राथमिक शिक्षा :

आधुनिक मनोविज्ञान मानता है कि बचपन में सीखी गई बातें और बनाई गई आदतें जीवनभर स्थायी रहती हैं। यही वह समय होता है जब बालक का व्यक्तित्व निर्माण होता है और उसे समाजोपयोगी नागरिक बनाने की नींव पड़ती है। अपराध प्रवृत्तियाँ जन्मजात नहीं होतीं, बल्कि अशिक्षा या उचित शिक्षा के अभाव से उत्पन्न होती हैं। अतः 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को राष्ट्रीय हित में जागरूक, जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए शिक्षा विशेष महत्त्व रखती है।

प्राचीन भारत में प्राथमिक शिक्षा –

- वैदिक काल में गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी।
- शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करना था।
- श्रवण और मनन पद्धति से शिक्षा दी जाती थी।
- जीवनोपयोगी शिक्षा के साथ भिक्षावृत्ति की प्रथा ने शिक्षार्थियों में विनम्रता और सामाजिकता का विकास किया।

ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा –

1. 1813 ई. का आज्ञापत्र : ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारतीय शिक्षा का आंशिक दायित्व लिया।
2. 1835 : मैकाले ने भारतीय भाषाओं और परंपरागत शिक्षा का विरोध करते हुए अंग्रेज़ी आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया।
3. 1854 का वुड का शिक्षा–घोषणा पत्र रू इसे भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा कहा गया। इसमें भारतीय भाषाओं को भी शिक्षण माध्यम बनाने की सिफारिश हुई।
4. 1882 का हंटर आयोग : प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया।
   - प्राइमरी स्कूलों के परिणाम के आधार पर आर्थिक सहायता।
   - भवन एवं फर्नीचर की सरलता।
   - पाठ्यक्रम में गणित, विज्ञान, कृषि एवं व्यावसायिक विषय।

- शिक्षक–प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल स्कूल की स्थापना।

स्वतंत्र भारत में प्राथमिक शिक्षा –

- संविधान अनुच्छेद 45 : 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान।
- 42वाँ संशोधन (1976) : शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया।
- समय–समय पर विभिन्न आयोग एवं योजनाएँ लागू की गई।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) –

- अध्यक्ष : डॉ. लक्ष्मणस्वामी मुदालियर।

सिफारिशें :

- पाठ्यचर्या मे विविधता,
- मध्यवर्ती स्तर जोड़ना,
- त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम आरम्भ करना।

शिक्षा में गुणवता के सन्दर्भ में अनेक कार्यक्रम जैसे न्यूनतम अधिगम आधारित शिक्षण, लर्निंग गारंटी कार्यक्रम, रीड राजस्थान, क्वालिटी एंश्योरेस प्रोग्राम इत्यादि चल चुके है अथवा चल रहे है। इन सबका हमारी विद्यालय शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। गुणवत्ता शिक्षा हेतु इनके अतिरिक्त अनेक कार्यक्रम निजी भागीदारी से चलाए जा रहे है। इसी अनुक्रम में 'गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम' (ABL) प्रारम्भ किया गया है। ABL कार्यक्रम पूर्णत: गतिविधि आधारित कार्यक्रम है।

गतिविधि आधारित अधिगम (ABL) कार्यक्रम का परिचय :

सर्व शिक्षा अभियान विभिन्न प्रयासों के माध्यम से राज्य में प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत बच्चों (बालक व बालिका) के नामांकन व ठहराव तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्व शिक्षा अभियान के इन्ही प्रयासो के अनुक्रम में एक प्रयास है ''गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम'' (ABL-Activity Based Learning) गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम एक गतिविधि आधारित शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सीखना सुनिश्चित किया जाता है। सीखने–सिखाने की इस प्रक्रिया में प्रत्येक बच्चे को केन्द्र मानकर शिक्षण कार्य किया जाता है। यह मान्यता कि प्रत्येक बच्चा महत्त्वपूर्ण है, प्रत्येक बच्चे की सीखने की अपनी गति होती है और सीखने की गति स्वतन्त्रता प्रत्येक बच्चे की जरूरत है, इस प्रक्रिया का मुख्य आधार है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 तथा 'निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009' शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन की पहल करते हैं साथ ही विद्यालय में बच्चों के सीखने को स्थायी बनाने, सीखने में आ रही चुनौतियों को समझने एवं उनका समाधान करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाते हैं। सीखना गतिविधि आधारित, आनन्ददायी, रूचिकर एवं बाल उपयोगी हो। सीखने की प्रक्रिया में प्रत्येक बच्चा महत्त्वपूर्ण है। बच्चे को अपनी गति, रूचि एवं स्तर के अनुसार स्वयं करके सीखने के अवसर उपलब्ध हों, इस हेतु राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2016–17 में सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा उत्कृष्ट विद्यालयों की कक्षा 1 व 2 के लिए गतिविधि आधारित अधिगम (ABL) कार्यक्रम का विकास किया गया था। बाद में इसकी सफलता को देखते हुए इसे कक्षा 5 तक लागू कर दिया गया।

प्रथम चरण के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 मे नामांकन के आधार पर चयनित 2853 उत्कृष्ट विद्यालयों को गतिविधि कक्ष विकास एवं गतिविधि आधारित अधिगम (ABL) किट उपलब्ध करवाई गई थी। द्वितीय चरण में वर्ष 2017–18 में विस्तार करते हुए 8118 (शेष रहे समस्त 6778 उत्कृष्ट व प्रथम फेज के 1340 आदर्श) विद्यालयों की कक्षा 1 व 5 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एबीएल कक्ष के साथ प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी, नई दिल्ली द्वारा किट की समीक्षा उपरान्त विषयवार सुझावों को समाहित करते हुए सुवर्द्धित गतिविधि आधारित अधिगम (ABL) किट उपलब्ध करवाई गई है। इसके अन्तर्गत कक्षा–कक्षीय प्रक्रिया में बाल केन्द्रित शिक्षा शास्त्र के अनुसार गतिविधि आधारित अधिगम करवाते हुए सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाना है, जिससे बच्चे अपनी गति, रूचि और स्तर के अनुसार ज्ञान का निर्माण कर सकें।

शोध अध्ययन की आवश्यकता :

प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी ने शिक्षा को "जीवन की तैयारी" न मानकर "जीवन जीने की प्रक्रिया" कहा है। उनका मानना था कि शिक्षा तभी सार्थक है जब वह अनुभव और सक्रिय सहभागिता पर आधारित हो। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए उनके शिष्य डॉ. विलियम किलपैट्रिक ने परियोजना विधि का प्रतिपादन किया, जिसमें विद्यार्थी उद्देश्यपूर्ण कार्यों की योजना बनाकर उन्हें स्वयं करके आत्मनिर्भरता, सृजनात्मकता और समस्या–समाधान की क्षमता विकसित करते हैं। गतिविधि आधारित अधिगम इसी का विस्तृत स्वरूप है।

बीकानेर संभाग राजस्थान का शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। यहाँ प्राथमिक विद्यालयों में गतिविधि आधारित अधिगम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस संदर्भ में यह जानना आवश्यक है कि इस पद्धति की वास्तविक प्रभावशीलता क्या है और शिक्षक तथा अभिभावक इसके प्रति कैसी अभिवृत्ति रखते हैं।

अतः यह शोध कार्य बीकानेर संभाग के प्राथमिक विद्यालयों में गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम की प्रभावशीलता एवं व्यवहारिक चुनौतियों का गहन अध्ययन करेगा। इससे शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता सुधारने में उपयोगी निष्कर्ष प्राप्त होंगे।

शोध अध्ययन का महत्त्व :

यह शोध शिक्षा जगत को कई स्तरों पर उपयोगी निष्कर्ष प्रदान करेगा। शैक्षिक दृष्टि से यह अध्ययन स्पष्ट करेगा कि बीकानेर संभाग में गतिविधि आधारित अधिगम (ABL) कार्यक्रम बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को कितना प्रभावी बना रहा है और इसके परिणामस्वरूप बच्चों में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। साथ ही यह भी ज्ञात होगा कि शिक्षक इस पद्धति को कितनी सहजता और उत्साह से अपनाते हैं तथा इसके क्रियान्वयन में उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे प्रशिक्षण की कमी, समय प्रबंधन या संसाधनों का अभाव। यह शोध शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और अधिक व्यावहारिक तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाने में सहायक सिद्ध होगा। दूसरी ओर अभिभावकों की भूमिका भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यदि वे इस पद्धति को सकारात्मक दृष्टि से स्वीकार करते हैं तो यह बच्चों की शिक्षा को और अधिक सशक्त बना सकती है। शोध से यह ज्ञात होगा कि अभिभावक गतिविधि आधारित अधिगम (ABL) से कितने संतुष्ट हैं और वे बच्चों के विकास को किस दृष्टिकोण से आंकते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होगा कि शिक्षा विभाग को अभिभावकों और समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए किन प्रयासों की आवश्यकता है।

अंततः यह अध्ययन केवल सैद्धांतिक योगदान ही नहीं देगा बल्कि व्यावहारिक स्तर पर भी यह स्पष्ट करेगा कि बीकानेर संभाग के प्राथमिक विद्यालयों में गतिविधि आधारित अधिगम (ABL) किस हद तक सफल है और इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किन ठोस कदमों की आवश्यकता है। इस प्रकार यह शोध प्रबन्ध शैक्षिक, सामाजिक, प्रशासनिक और शोधात्मक सभी दृष्टि से बहुआयामी महत्व रखता है।

तकनीकी शब्दों की व्याख्या :

गतिविधि आधारित अधिगम ABL (Activity Based Learning)

यह प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत चलाया गया गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम है।

अभिवृति –

1. संयमित व्यवहार या सोचने का ढंग।
2. किसी वस्तु, मूल्य या स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने की प्रवृति। साधारण भावना या अनुभूति से सम्बंधित।
3. व्यक्तियों या स्थितियों के प्रति ऐसा रूख या झुकाव जिसमें भावना का रंग चढा हो और जो अपेक्षाकृत स्थायी हो।

शहरी प्राथमिक शिक्षक –

शहरी प्राथमिक शिक्षक के अन्तर्गत नगरपालिका, नगरपरिषद व नगरनिगम क्षेत्र में आने वाले विद्यालयों के प्राथमिक शिक्षकों को लिया गया है।

ग्रामीण प्राथमिक शिक्षक –

ग्रामीण प्राथमिक शिक्षक के अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र में आने वाले विद्यालयों के प्राथमिक शिक्षकों को लिया गया है।

शहरी अभिभावक –

शहरी नगरपालिका, नगरपरिषद व नगरनिगम क्षेत्र में आने वाले विद्यालयों के विद्यार्थियों के अभिभावकों को लिया गया है।

ग्रामीण अभिभावक –

ग्राम पंचायत क्षेत्र में आने वाले विद्यालयों के विद्यार्थियों के अभिभावकों को लिया गया है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य :

1. बीकानेर संभाग के शिक्षकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति का विश्लेषण करना।
2. बीकानेर संभाग के अभिभावकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति का विश्लेषण करना।
3. बीकानेर संभाग के ग्रामीण शिक्षकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति का विश्लेषण करना।
4. बीकानेर संभाग के शहरी शिक्षकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति का विश्लेषण करना।
5. बीकानेर संभाग के ग्रामीण अभिभावकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति का विश्लेषण करना।
6. बीकानेर संभाग के शहरी अभिभावकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति का विश्लेषण करना।
7. बीकानेर संभाग के ग्रामीण पुरूष शिक्षकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति का विश्लेषण करना।
8. बीकानेर संभाग के ग्रामीण महिला शिक्षकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति का विश्लेषण करना।
9. बीकानेर संभाग के शहरी पुरूष शिक्षकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति का विश्लेषण करना।
10. बीकानेर संभाग के शहरी महिला शिक्षकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति का विश्लेषण करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएं :

1. बीकानेर संभाग के शिक्षकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति उच्च स्तरीय पायी जाती है।
2. बीकानेर संभाग के अभिभावकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति उच्च स्तरीय पायी जाती है।
3. बीकानेर संभाग के ग्रामीण शिक्षकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति उच्च स्तरीय पायी जाती है।
4. बीकानेर संभाग के शहरी शिक्षकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति उच्च स्तरीय पायी जाती है।
5. बीकानेर संभाग के ग्रामीण अभिभावकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति उच्च स्तरीय पायी जाती है।
6. बीकानेर संभाग के शहरी अभिभावकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति उच्च स्तरीय पायी जाती है।
7. बीकानेर संभाग के ग्रामीण पुरूष शिक्षकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति उच्च स्तरीय पायी जाती है।
8. बीकानेर संभाग की ग्रामीण महिला शिक्षकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति उच्च स्तरीय पायी जाती है।
9. बीकानेर संभाग के शहरी पुरूष शिक्षकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति उच्च स्तरीय पायी जाती है।
10. बीकानेर संभाग की शहरी महिला शिक्षकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति उच्च स्तरीय पायी जाती है।
11. बीकानेर संभाग के ग्रामीण पुरूष अभिभावकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति उच्च स्तरीय पायी जाती है।
12. बीकानेर संभाग की ग्रामीण महिला अभिभावकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति उच्च स्तरीय पायी जाती है।
13. बीकानेर संभाग के शहरी पुरूष अभिभावकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति उच्च स्तरीय पायी जाती है।

14. बीकानेर संभाग की शहरी महिला अभिभावकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति उच्च स्तरीय पायी जाती है।

शोध अध्ययन की परिसीमाएं :

1. यह शोध कार्य बीकानेर संभाग तक सीमित है।
2. इस शोध हेतु सरकारी विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण कार्य करवाने वाले शिक्षकों का चयन किया गया है।
3. इस शोध हेतु सरकारी विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले शिक्षार्थियों के अभिभावकों का चयन किया गया है।
4. इस शोध हेतु सरकारी विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण कार्य करवाने वाले ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों का चयन किया गया है।

अध्ययन विधि :

शोध कार्य हेतु सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है।

न्यादर्श :

इस अध्ययन हेतु यादृच्छिक न्यादर्श के रूप में बीकानेर संभाग के 400 प्राथमिक शिक्षकों एवं 400 अभिभावकों को चुना गया है। प्राथमिक शिक्षकों एवं अभिभावकों में ग्रामीण व शहरी वैभिन्न रखा गया है। ग्रामीण व शहरी प्राथमिक शिक्षकों में महिला व पुरूष शिक्षकों का वैभिन्न रखा गया है। ग्रामीण व शहरी प्राथमिक अभिभावकों में महिला व पुरूष अभिभावकों का वैभिन्न रखा गया है।

शोध उपकरण :

शोधकर्त्ता की महत्ता उपकरण पर निर्भर करती है क्योंकि उनकी उपयुक्तता, वैधता, विश्वसनीयता पर ही प्रदत्तों की वैधता व विश्वसनीयता निर्भर करती है। अतः इस शोधकार्य में शोधकर्त्ता द्वारा निर्मित उपकरणों का प्रयोग किया गया है। ये उपकरण शिक्षकों व अभिभावकों के लिए है।

1. शिक्षकों की गतिविधि आधारित अधिगम (ABL) कार्यक्रम के प्रति अभिवृत्ति मापनी
2. अभिभावकों की गतिविधि आधारित अधिगम (ABL) कार्यक्रम के प्रति अभिवृत्ति मापनी

सांख्यिकीय प्रविधियाँ –

इस अध्ययन में निम्नलिखित सांख्यिकी का उपयोग किया गया है।

- मध्यमान
- मानक विचलन
- टी–मूल्य
- प्रतिशत

International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM)
Volume: 09 Issue: 09 | Sept - 2025 SJIF Rating: 8.586 ISSN: 2582-3930

मुख्य शोध निष्कर्ष :

बीकानेर संभाग के शिक्षकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति को दर्शाती सारणी

चर	स्तर	शिक्षकों की संख्या	प्रतिशत
बीकानेर संभाग के शिक्षक	उच्च	217	54.25%
	तटस्थ	126	31.5%
	निम्न	57	14.25%
कुल		**400**	**100%**

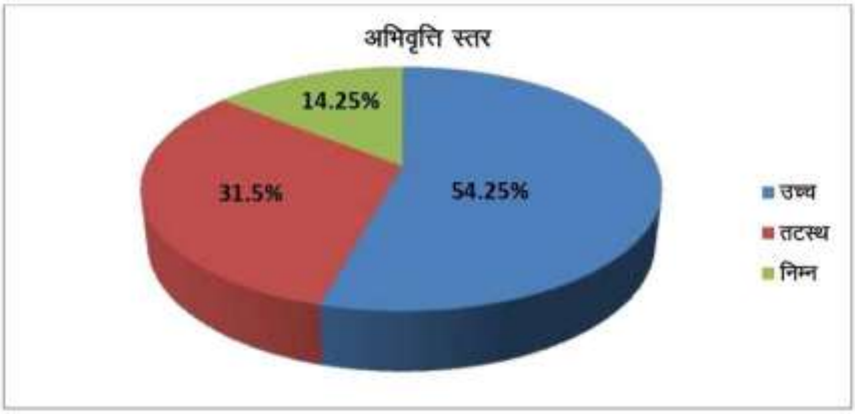

बीकानेर संभाग के अभिभावकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति को दर्शाती सारणी

चर	स्तर	अभिभावकों की संख्या	प्रतिशत
बीकानेर संभाग के अभिभावक	उच्च	191	47.75%
	तटस्थ	124	31%
	निम्न	85	21.25%
कुल		400	100%

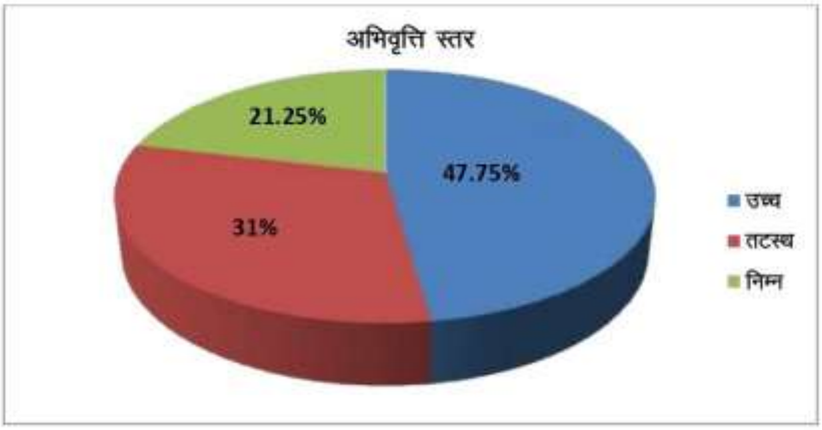

बीकानेर संभाग के ग्रामीण शिक्षकों एवं शहरी शिक्षकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति के अन्तर को दर्शाती सारणी –

घटक	संख्या (N)	मध्यमान (Mean)	मानक विचलन (S.D.)	टी–मूल्य (t-Value)	सार्थकता स्तर
बीकानेर संभाग के ग्रामीण शिक्षक	200	216.57	12.70	2.48	0.05
बीकानेर संभाग के शहरी शिक्षक	200	219.57	11.50		

(df=N1-1) + (N2 -1) (200-1) + (200-1) = 398

बीकानेर संभाग के ग्रामीण शिक्षकों एवं शहरी शिक्षकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति के अन्तर को दर्शाता हुआ लेखाचित्र

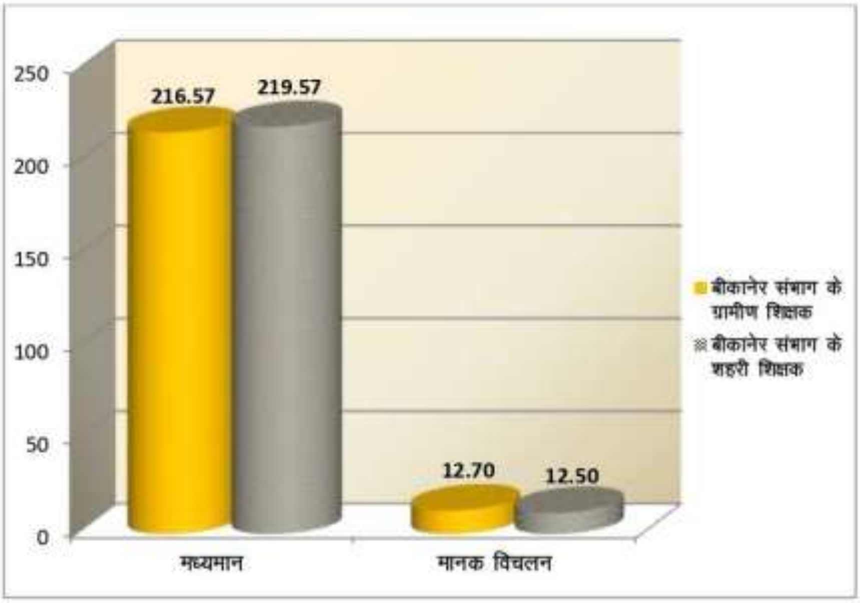

बीकानेर संभाग के ग्रामीण अभिभावकों एवं शहरी अभिभावकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति के अन्तर को दर्शाती सारणी –

घटक	संख्या (N)	मध्यमान (Mean)	मानक विचलन (S.D.)	टी–मूल्य (t-Value)	सार्थकता स्तर
बीकानेर संभाग के ग्रामीण अभिभावक	200	213.83	12.80	1.55	N.S.
बीकानेर संभाग के शहरी अभिभावक	200	215.76	12.12		

(df=N1-1) + (N2 -1) (200-1) + (200-1) = 398

International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM)
Volume: 09 Issue: 09 | Sept - 2025 SJIF Rating: 8.586 ISSN: 2582-3930

बीकानेर संभाग के ग्रामीण अभिभावकों एवं शहरी अभिभावकों की गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति अभिवृति के अन्तर को दर्शाता हुआ लेखाचित्र

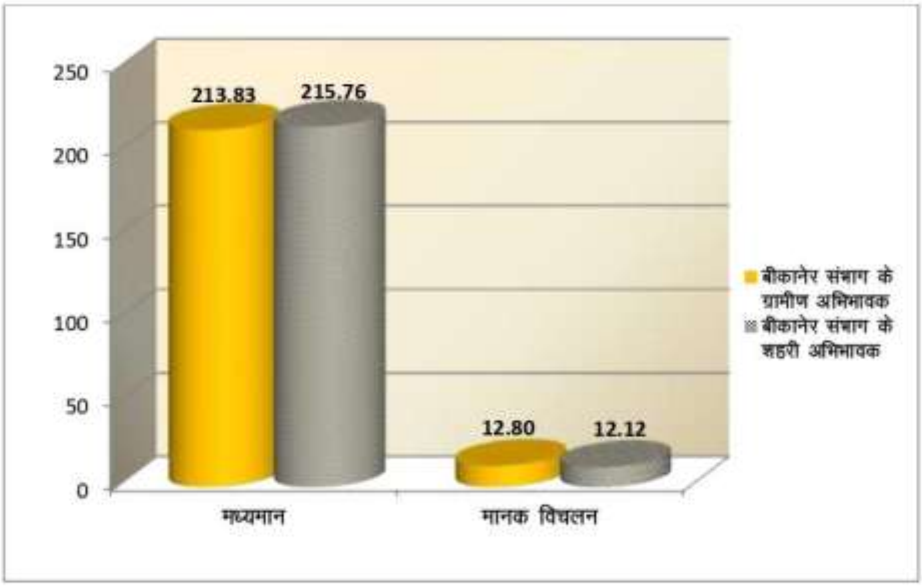

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि बीकानेर संभाग में गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम के प्रति शिक्षकों एवं अभिभावकों की अभिवृत्ति सर्वाधिक रूप से सकारात्मक एवं उच्च स्तर की है। अधिकांश शिक्षक (51.25%) तथा अभिभावक (47.25%) इस कार्यक्रम को बच्चों के समग्र विकास के लिए उपयोगी एवं आवश्यक मानते हैं। ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों की तुलना में यह पाया गया कि शहरी शिक्षकों की अभिवृत्ति (57%) ग्रामीण शिक्षकों (51.50%) की अपेक्षा थोड़ी अधिक सकारात्मक रही, जिसका मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में संसाधनों एवं प्रशिक्षण अवसरों की अपेक्षाकृत बेहतर उपलब्धता रही। इसी प्रकार ग्रामीण एवं शहरी अभिभावकों की अभिवृत्ति में कोई विशेष अंतर नहीं पाया गया, दोनों ही वर्ग शिक्षा को आवश्यक मानते हुए बच्चों की शिक्षा के प्रति समान रूप से जागरूक एवं इच्छुक पाए गए। लिंग के आधार पर भी शिक्षकों एवं अभिभावकों की अभिवृत्ति में उल्लेखनीय भिन्नता नहीं देखी गई। महिला शिक्षिकाएँ एवं महिला अभिभावक, चाहे ग्रामीण हों या शहरी, समान रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण रखती हैं, जो उनके मातृत्व भाव, संवेदनशीलता तथा शिक्षा के प्रति समर्पण का परिचायक है। पुरुष शिक्षकों में शहरी क्षेत्र के शिक्षकों की अभिवृत्ति ग्रामीण शिक्षकों की तुलना में थोड़ी अधिक सकारात्मक पाई गई, जबकि पुरुष अभिभावकों में ग्रामीण–शहरी स्तर पर कोई विशेष अंतर नहीं देखा गया। समग्र रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बीकानेर संभाग में गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम को शिक्षक एवं अभिभावक समान रूप से सकारात्मक रूप से स्वीकारते हैं, तथा दृष्टिकोण में पाए गए अंतर केवल संसाधन, अवसर एवं सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों की भिन्नताओं पर आधारित हैं।

भावी शोध हेतु सुझाव :

1. वर्तमान अध्ययन बीकानेर संभाग तक सीमित है, भविष्य में अन्य संभागों अथवा राष्ट्रीय स्तर पर भी शोध किया जा सकता है।
2. शोध में केवल शिक्षक व अभिभावक सम्मिलित थे, आगे विद्यार्थियों, विद्यालय प्रमुखों व शिक्षा अधिकारियों को भी जोड़ा जा सकता है।
3. मात्रात्मक पद्धति के साथ भविष्य में गुणात्मक पद्धति (साक्षात्कार, केस स्टडी, फोकस–ग्रुप) का उपयोग किया जा सकता है।
4. यह जाँचना उपयोगी होगा कि गतिविधि आधारित अधिगम को मूल्यांकन प्रणाली में किस प्रकार जोड़ा जा सकता है।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में गतिविधि आधारित अधिगम की उपयोगिता व सुधार की संभावनाओं पर अध्ययन किया जा सकता है।
6. शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में इस पद्धति के समावेश और प्रशिक्षणधीन शिक्षकों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण किया जा सकता है।
7. दीर्घकाल में विद्यार्थियों की उपलब्धि, रचनात्मकता व समस्या–समाधान क्षमता पर इसके प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है।
8. शिक्षकों व अभिभावकों की अभिवृत्तियों में लिंग, आयु, योग्यता व अनुभव के आधार पर अंतर का परीक्षण किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची :

- अग्रवाल, एस. पी. (2019). प्राथमिक शिक्षा में नवाचार. दिल्ली: शारदा पब्लिशिंग।
- चौहान, के. सी. (2018). अधिगम के आधुनिक सिद्धांत. लखनऊ: प्रकाश बुक हाउस।
- गुप्ता, आर. एस. (2020). गतिविधि आधारित शिक्षण की अवधारणा. जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।
- जैन, वी. (2017). विद्यालय शिक्षा में नये प्रयोग. दिल्ली: भारतीय पुस्तक निगम।
- कश्यप, एम. (2021). नवीन शिक्षण प्रविधियाँ और प्रयोगात्मक अधिगम. भोपाल: मध्यभारत प्रकाशन।
- ठाकुर, एस. (2020). गतिविधि आधारित पद्धतियाँ: सिद्धांत और व्यवहार. भोपाल: मध्यभारत प्रकाशन।
- नागर, आर. (2016). अधिगम मनोविज्ञान और शिक्षण विधियाँ. आगरा: विनायक प्रकाशन।
- पाण्डेय, एस. (2019). बालकेंद्रित शिक्षा और गतिविधि आधारित पद्धति. दिल्ली: भारती पब्लिकेशन।
- अग्रवाल, एम. पी. (2018). प्राथमिक शिक्षा की नई दिशाएँ. दिल्ली: शारदा प्रकाशन।
- आचार्य, वी. एन. (2019). अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया. वाराणसी: गंगानाथ प्रकाशन।